# राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

## <u>सीमित निविदा का प्रारुप</u>

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कार्य का नाम | 29 एयर कंडीशनरों की काम्प्रेन्सिव आधार पर एक वर्ष के लिए वार्षिक रख रखाव(AMC) देने हेतु |
| 2 | अनुमानित लागत | 70,000/– रुपये |
| 3 | फर्म का नाम | |
| 4 | फर्म का पता | |
| 5 | फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर | |
| 6 | टेलीफोन/मोबाइल नंबर | |
| 7 | फर्म का जी.एस.टी. नंबर (If applicable) | |
| 8 | पैन नं. | |
| 9 | सीमित निविदा की प्रस्तुत दर (वार्षिक) | |

सभी प्रावधान आर.टी.पी.पी.एक्ट, 2012 एवं 2013 के नियम के तहत प्रभावी होंगे ।

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION JAIPUR

<u>हस्ताक्षर निविदाकर्ता</u>

संलग्न – सीमित निविदा शर्तें

**<u>राजस्थान वित्त निगम</u>**
**<u>मुख्यालय उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर</u>**

**विषयः– निगम में स्थापित 29 ए.सी. के वार्षिक रख रखाव का अनुबन्ध एक वर्ष हेतु दिये जाने बाबत्।**

निगम मुख्यालय में विभिन्न कक्षों में 29 एयर कंडीशनर स्थापित हैं जो कि एक टन से दो टन तक वोल्टॉस, एम्ट्रेक्स एवं सेमसंग कम्पनी के हैं । उक्त समस्त ए.सी. चालू स्थिति में हैं । जिनका एक वर्ष का वार्षिक रख रखाव का अनुबन्ध कॉम्प्रेहेन्सिव आधार पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाना है, जिसमें सभी पार्ट्स भी शामिल हैं । उक्त समस्त ए.सी. का निरीक्षण आप द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है ।

यदि आप कार्य करने के इच्छुक हैं तो अपना प्रस्ताव निगम मुख्यालय में दिनांक 28.8.19 अपरान्ह. 3.30 बजे तक निगम मुख्यालय में भिजवाने का श्रम करें, जिसे उसी दिन 4.00 बजे क्रय समिति के समक्ष उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा । एएमसी की शर्तें निम्न प्रकार होंगीः–

1. एसी एएमसी की अवधि एक वर्ष के लिए होगी ।

2. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार अमानत राशी के रूप में रुपये 3,500/–का डी.डी./बैंकर्स चैक सं....................दिनांक ..............बैंक का नाम....................उप महाप्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के पक्ष में देय है, संलग्न है ।

3. उक्त निविदा कार्य के एक वर्ष का अनुभव का (2017–18/ 2018–19 किसी भी एक वर्ष) का प्रमाण पत्र/एक कार्यादेश संलग्न करें जिसमें सरकारी/स्वायत्तशासी/प्रतिष्ठित संस्थान (सरकारी नियम अधिनियम के तहत पंजीकृत) के कार्य का अनुभव है ।

4. एएमसी के दौरान समस्त एसी चालू स्थिति में रखने होगें। आपके फर्म के मैकेनिक प्रतिमाह में एक बार समस्त ए.सी. का रख रखाव करेंगे ताकि समस्त ए.सी. चालू स्थिति में रहें। यदि कोई ए.सी. खराब होता है तो तुरन्त प्रभाव से उसको 24 घंटे के भीतर ठीक करके चालू करना होगा अन्यथा निगम अपने स्तर पर ठीक करवा लेगा एवं उस पर खर्च हुई राशि निगम द्वारा देय राशि में से काट ली जायेगी । साथ ही 200 रुपये प्रतिदिन की दर से निगम द्वारा देय राशि में से कटौती की जावेगी ।

5. उक्त ए.एम.सी. पूर्ण काम्प्रेहेन्सिव आधार पर होगी। केवल बॉडी को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स एएमसी में शामिल होगें तथा खराब होने पर आपके द्वारा स्वयं के खर्च पर बदले जायेगें।

6. वार्षिक रख रखाव की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान निगम द्वारा आपको प्रथम छः माह की अनुबन्ध अवधि के संतोषप्रद समाप्ति के बाद कर दिया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान छः माह की अनुबन्ध अवधि के संतोषप्रद समाप्ति के बाद कर दिया जायेगा।

FINANCIAL CORPORATION

7. दोनो पक्षो में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम के प्रबन्ध निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

8. शर्तो एवं नियमों को भंग करने पर या अनुबन्ध का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।

9. चयनित फर्म उसके किसी भाग को ना तो किसी अन्य ऐजेन्सी को देगा और ना ही किसी को आगे स्थानान्तरित करेगा।

10. कार्य के दौरान अगर कोई भी दुर्धटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी फर्म की होगी।

11. निगम को बिना किसी कारण बताए उक्त निविदा को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।

12. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 प्रस्तुत निविदाकर्ता फर्म पर लागू होगें।

13. निगम द्वारा स्वीकृत फर्म को एक करार रूपये 500/-के नॉन ज्यूडिशिल स्टाप पेपर पर कार्यादेश देने के 15 दिवस में निष्पादित करना होगा ।

14. उपरोक्तानुसार राजस्थान वित्त निगम की समस्त शर्ते निविदादाताओं को मान्य होगी।